

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

07-6-22

हस्तगत याचिका से संबंधित
याचिका क्र. 212 RTA
1955 मूल वाद सं: 38/2018
उनवानी शिव कंवर आर्डी N/S पान
कंवर आर्डी वाडीभाठाण पुरा
अपनी स्वेच्छा से विक्री करने पर
आज स्वारिज हो गया है।
इसलिए याचिका क्र. 212
के अभाव में हस्तगत याचिका
आगे चलने योग्य नहीं है।
अतः हस्तगत याचिका स्वारिज
किया जाता है। मिसल दुर्ज
कंवर से कम होकर मूल याचिका
18/2018 उनवानी शिव कंवर आर्डी
N/S पान कंवर आर्डी क्र. 212 RTA 1955 के संलग्न रहे।
ॐ

उपसंग्रह अधिकारी, खेतड़ी